

न्यायालय मध्यस्थ (जिला कलक्टर), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, बांसवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी - भगवती प्रसाद, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 42/2017

RCMS Case Reg. 2017/00051

प्रार्थी / अपीलार्थी :-

श्रीमति चन्दा पटियात पत्नी श्री
 शम्भूलालजी पटियात, उम्र 80
 वर्ष, जाति नेमा महाजन, निवासी बनाम
 हाऊसिंग बोर्ड, बांसवाड़ा तहसील
 व जिला बांसवाड़ा (राज)

अप्रार्थी / रेस्पोंडेंट:-

1. भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं.113, बांसवाड़ा।
2. तहसीलदार, तहसील बांसवाड़ा।
3. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सपटित धारा 26, 28,

29 व 30 Right to Fair Compensation and Transparency in Land

Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

प्रतिकर की राशि के विनिर्धारण हेतु

उपरिस्थित : 1- श्री भूपेन्द्र जैन एवं श्री हीरालाल जैन,

-अधिवक्तागण, -प्रार्थी पक्ष

2- श्री योगेश सोमपुरा,

-अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक :- 17-05-2018

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, प्रार्थीया के निजी स्वामित्व व आधिपत्य के दो आवासीय भूखण्ड, भूखण्ड संख्या सी जिसका क्षेत्रफल 4437 वर्गफीट व भूखण्ड संख्या डी जिसका क्षेत्रफल 6176 वर्गफीट इस प्रकार दोनो भूखण्डो का कुल क्षेत्रफल 10613 वर्गफीट वाके बडगाँव "बी" क्षेत्र मे स्थित है तथा उक्त भूखण्ड आबादी जुदा आराजी सर्वे नं. 702 का एक भाग है तथा प्रार्थीया उक्त आबादीशुदा भूखण्डों पर क्रय दिनांक से काबिज है। अप्रार्थी नं. 3 सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा ने अपने आदेश क्रमांक एफ/राजस्व/2015/699-704 दिनांक 20.07.2015 से राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 113 प्रतापगढ से पाडी खण्ड किलोमीटर 80 से 180 तक भूमि अवाप्ति के संबंध मे आने वाली भूमि को अवाप्त किये जाने के संबंध मे एवार्ड जारी किया गया है। अप्रार्थी नं. 3 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रस्तावित मुआवजा राशि

D.M. D:\2016\2016.doc




भगवती प्रसाद
 जिला कलक्टर
 बांसवाड़ा

के संबंध में जारी एवार्ड क्रमांक एफ/राजस्व/2015/699-704 दिनांक 20.07.2015 में प्रार्थीया के भूखण्डों में से 5500 वर्गफीट भूमि की मुआवजा राशि रूपया 8,83,630/- अक्षरे आठ लाख तरयासी हजार छः सौ तीस रूपया मात्र निर्धारित की गई है, जो प्रतिकर की राशि की दर भी बाजार मूल्य से काफी अल्प राशि है। प्रार्थीया उक्त वर्णित भूमि की स्वामी होकर हितबद्ध व्यक्ति है तथा प्रस्तावित अधिनिर्णय प्रतिग्रहित नहीं करती है व Arbitrator के द्वारा अवधारण (Adjudication) चाहती है। इस कारण मामले में अवधारण कराने का प्रार्थीया को कानूनन हक प्राप्त है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(जी)(7) में अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु स्पष्ट प्रावधान है। जिसमें भूमि के डी.एल.सी. मूल्य की दौ गुना राशि कर तथा उक्त दुगुनी राशि का 100 प्रतिशत तोषण (सोलेशियम) कर अवाप्ति से हुई क्षतियों को ध्यान में रख कर एवार्ड पारीत किया जाना आवश्यक है। परन्तु भूमि अवाप्ति सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त कानूनी प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए प्रश्नगत एवार्ड पारीत किया है। जो मनमाना, चंचल व अविधिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीया ने अधिसूचना संख्या 2112 (अ)/नई दिल्ली दिनांक 08.09.2012 को अखबार में प्रकाशन के बाद अविलम्ब भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बॉसवाड़ा के यहां आपत्ति भी दर्ज करा दी थी। उक्त आपत्ति को भी अवाप्ति अधिकारी ने ध्यान में नहीं रखा है तथा बाद में कलम नं. 3 में बताये अनुसार मुआवजा राशि निर्धारित की है, जो गलत है। आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 702 में से प्रार्थीया के भूखण्डों की मात्र 5500 वर्गफीट भूमि का ही मुआवजा निर्धारित किया है। जबकि प्रार्थीया के भूखण्डों की शेष भूमि 5113 वर्गफीट भूमि अनुपयोगी हो गई है। अतः उक्त कुल भूमि की मालियत निर्धारित नहीं की गई है। वह उसका उपयोग-उपभोग नहीं कर पायेगी व उसे इस कारण नुकसान होगा। जिसे प्रार्थीया कानूनन पाने की अधिकारी है। उक्त अवाप्त की गई भूमि व उससे लगी हुई कुल भूमि का मुआवजा नियमानुसार अभी तक प्रार्थीया को अदा नहीं किया गया है। इस कारण भू-अवाप्ति की कुल कार्यवाही Lapse हो चुकी है। इस कारण नियमानुसार आज की मार्केट वेल्यू के हिसाब से व भू-अवाप्ति अधिनियम व नियमों के अनुसार मय समस्त लाभो व परिलाभो व ब्याज सहित अदा की जाने योग्य है। इस कारण नियमानुसार उक्त भूमि का मुआवजा प्रार्थीया को अदा करने का एवार्ड जारी करने के आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक है जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा-

(1) 2016 DNJ (SC) 507. Aligarh Development Authority Vs Maghsingh & Others

(2) 2016 DNJ (SC) 468 Shakuntala Yadav & Ors Vs State of Hariyana & Ors
व अनेकानेक न्यायिक उद्धरणों में वैधिक सिद्धान्त प्रतिवादित किये गये हैं।

वर्तमान में प्रार्थीया की प्रश्नगत भूमि आबादी भूमि है तथा उक्त भूमि आबादीशुदा सर्वे नं. 702 का भाग है। इस कारण उक्त कुल भूमि 10613 वर्गफीट का निर्धारण वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर का 2 गुना कर उक्त भूमि का मुआवजा रूपया 44,57,460 /- अक्षरे चुम्मालीस लाख सत्तावन हजार चार सौ साठ रूपया होता है तथा



भगवती प्रसाद
मिन्स कन्सल्टर
बॉसवाड़ा

उक्त राशि का 100 प्रतिशत तोषण दिया जाना आवश्यक है तथा 100 प्रतिशत तोषण की राशि रूपया 44,57,460/- अक्षरे चवालीस लाख सत्तावन हजार चार सौ साठ रूपया होती है। इस प्रकार कुल रकम रूपया 89,14,920/- अक्षरे नवासी लाख चौदह हजार नव सौ बीस रूपया एवं उक्त रकम पर अधिसूचना की तिथी से ताअदायगी 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी प्रार्थीया पाने की अधिकारी है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया द्वारा उठाई गई उपरोक्त आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र को धारा 3(जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम व धारा 26, 28, 29 व 30 Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधानों के अधिन प्रार्थीया के पक्ष में एवं प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध निम्न आशय का अर्वाड पारीत करावे कि :-

- (क) यह कि, प्रार्थीया के भूखण्ड संख्या सी व डी की कुल भूमि 10613 वर्गफीट भूमि का प्रचलित बाजार मुल्य की 2 गुना की दर से रूपया 44,57,460/- अक्षरे चुम्मालीस लाख सत्तावन हजार चार सौ साठ रूपया तथा उक्त राशि पर 100 प्रतिशत तोषण की राशि रूपया 44,57,460/- अक्षरे चवालीस लाख सत्तावन हजार चार सौ साठ रूपया इस प्रकार कुल रकम रूपया 89,14,920/- अक्षरे नवासी लाख चौदह हजार नव सौ बीस रूपया या अन्य रकम जो वाजिब बनती है, वह मुआवजा दिलाया जावे व अन्य परिलाभ जो कानूनन प्रार्थीया पाने की अधिकारी है वह भी दिलाया जावे।
- (ख) यह कि, कुल राशि रूपया 89,14,920/- अक्षरे नवासी लाख चौदह हजार नव सौ बीस रूपया पर नियमानुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज ताअदायगी दिलाया जावे।
- (ग) यह कि, इस मामले का व्यय व पारिश्रमिक अभिभाषक प्रार्थीया को प्रत्यर्थीगण से दिलाया जावे।
- (घ) यह कि, अन्य अनुतोष जो न्यायहित में आवश्यक हो प्रार्थीया को प्रत्यर्थीगण से दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 क की उप धारा (1) के अधीन भूमि अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 08-09-2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है, जिसकी नियमानुसार अधिनियम की धारा 3 (C) के तहत आपत्तियां आमन्त्रण के पश्चात प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अधिनियम की धारा 3 (D) की अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई। मामले में नियमानुसार अधिनियम की धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत धारा

D:\M D:\M D:\M 2016.doc



भगवत प्रसाद
जिला कलक्टर
वासवाहा

3 (क) की अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक 08-09-2012 को प्रचलित बाजार दर के आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है, जो सही होकर नियमानुसार है। अतः आर्बिटेशन प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आर्बिटेशन की परिधि में नहीं आने से उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है, प्रार्थी ने तथ्यों को छुपा कर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी जिस भूमि का प्रार्थना पत्र लेकर पेश हुआ है, उक्त आराजी भूमि का गजट प्रकाशन नियमानुसार अवार्ड पारित होकर उक्त आराजी के मुआवजे का नियमानुसार अवार्ड जारी होने की दिनांक से जमा करा दिया गया, जो कि प्रार्थी के हित के अनुरूप उक्त जमा मुआवजा को पाने की अधिकारी है तथा जिस कारण उक्त आराजी का मुआवजा जारी होने से उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। अवार्ड में स्पष्ट उल्लेखित है कि धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत धारा 3-क की अधिसूचना के गजट प्रकाशन की दिनांक 08-09-2012 को प्रचलित बाजार दरों की सूचना उप पंजीयकों से मंगवाई गई है। डीएलसी दरें का तात्पर्य जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य से है, इसी कारण अवाप्ताधीन भूमि एन. एच. पर स्थित को मान कर प्राप्त डीएलसी की दर से मुआवजा निर्धारण किया गया है। जो सही है। इसके अतिरिक्त For determination of Market value of large track of land for Acquisition, value of small plots is not applicable. AIR 1989 P & H 27 Hukum chand V. Hariyana State में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। अतः यदि कोई प्लॉट (small of Land plote) आता है तो उसका निर्धारण पुरे ट्रेक पर स्थित भूमियों के अनुरूप किया जाएगा। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत अधिग्रहित की गई है, उक्त अधिग्रहित कार्यवाही पर Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, चूंकि उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 क की उप धारा (1) के अधीन भूमि अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 08-09-2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिला नगर परिषद् के 15 किमी परिधि में होने वाले अधिग्रहित भूमि पर दोगुना राशि व 100 प्रतिशत तोषण के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत अधिसूचना की दिनांक को प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा निर्धारण का प्रावधान है, जो कि मुआवजे के अवार्ड जारी हो चुके हैं, जिससे प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बांसवाडा के पत्र दिनांक 14-05-2018 से प्रकरण में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम बडगांव के सर्वे नम्बर 702 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा में से 0.051 हैक्टेयर गौतम पिता होमला भील निवासी जानामेडी, बांसवाडा की रूपान्तरित आबादी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 में अवाप्ति हेतु भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित हुई है। इसमें से प्रार्थीया चंदा देवी की क्रयशुदा रूपान्तरित आबादी भूमि 10613 वर्ग फीट में से 5500 वर्ग फीट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 में अवाप्त हुई है। ग्राम बडगांव के मूल खसरा नम्बर 702 में से



भगवती प्रसाद
जिला कलेक्टर
बांसवाडा

0.051 हैक्टेयर किस्म आबादी भूमि का भारत के राजपत्र में गौतम पिता होमला भील निवासी जानामेडी, बांसवाडा के नाम अधिसूचना जारी होकर कृषि भूमि की दर से अवार्ड पारित हुआ है। प्रार्थीया चंदा देवी की क्रयशुदा रूपान्तरित आबादी भूमि खसरा नम्बर 702 में से 5500 वर्ग फीट भूमि रूपान्तरित आबादी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 के अन्तर्गत अवाप्त हुई है। प्रार्थीया की अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि रु. 64834/- का चैक जारी किया गया। कृषि भूमि की डी.एल.सी. दल से अवार्ड पारित होने से प्रार्थीया ने चैक लेने से इंकार किया। उक्त अवाप्तशुदा भूमि का अवार्ड कृषि भूमि की दर से पारित होने से प्रार्थीया ने मुआवजा राशि का चैक लेने से इंकार करने से भुगतान नहीं किया जा सका। केन्द्र सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन अधिसूचना संख्या 2112 (अ) नई दिल्ली 8 सितम्बर 2012 को समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी की अधिसूचना दिनांक 23.08.2013 को समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना के बजाय राजस्व ग्राम बडगांव का आराजी नम्बर 702 रकबा 1 बीधा 2 बिस्वा गौतम पिता होमला कटारा जाति भील, निवासी जामामेडी तहसील बांसवाडा की कृषि भूमि कार्यालय विहित प्राधिकारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा के संपरिवर्तन आदेश क्रमांक राज/2006/8021-26 दिनांक 08.07.2011 द्वारा कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि में से 0.051 हैक्टेयर अवाप्त हुई है। संपरिवर्तन गजट नोटिफिकेशन के पूर्व हुआ है। प्रार्थीया चंदा देवी ने अधिसूचना जारी होने से पूर्व दिनांक 11-08-2017 को 6176 वर्ग फीट का भुखण्ड एवं दिनांक 17-08-2011 को 4437 वर्ग फीट कुल 10613 वर्ग फीट भूमि जरिये रजिस्ट्री खातेदार गौतम पिता होमला कटारा जाति भील, निवासी जानामेडी, बांसवाडा से रूपान्तरित आबादी भूमि की हैं। जिसमें से सड़क निर्माण के पश्चात् एलाईमेंट अनुसार तहसीलदार बांसवाडा की रिपोर्ट मुताबिक 5500 वर्ग फीट भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 में अवाप्त हुई है। अवाप्तशुदा 5500 वर्ग फीट भूमि के अवार्ड के समय मुताबिक पंजीबद्ध विक्रय विलेख के मूल्यांकन मुताबिक व दस्तावेज में अंकित ग्राम बडगांव-बी की वर्ष 2010-11 की आबादी भूमि की डी.एल.सी. दर में 15% पश्चात् 10% जोडकर की गई गणना से 8,83,630/- अक्षरे आठ लाख तैयासी हजार छः सौ तीस रूपया मात्र मुआवजा राशि बनती है। यह विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत होने से सहायता राशि (माईक्रो-प्लान) R&R का निर्धारण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नियुक्त स्वयं सेवी संस्था (NGO) द्वारा किया जाता है।

दिनांक 17-05-2018 को उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थीपक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि The National Highways Act 1956 के न्यायिक दृष्टांत के साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप अवाप्तशुदा आवासीय भूमि की मुआवजा राशि दिलाई जाने निवेदन किया।



[Handwritten signature]
 अधिवक्ता
 न्यायिक दृष्टांत
 नई दिल्ली


साथ ही अवाप्ति से शेष रही प्रार्थी की भूमि, जो प्रार्थी के लिए अब अनुपयोगी हो चुकी है, का भी नियमानुसार मुआवजा निर्धारण किया जाकर अवार्ड जारी करने हेतु निवेदन किया।


विपक्षी संख्या एक की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए धारा 3-जी (7)(ए) के तहत अधिसूचना की दिनांक को प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा निर्धारण का प्रावधान है, जो मुआवजा पूर्व में जारी हो चुका है, जिससे प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रार्थीया की आवासीय भूमि अवाप्त की गई है, सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा ने भी अपने जवाब में स्पष्ट उल्लेख किया है कि आबादी में से अवाप्तशुदा भूमि का कृषि भूमि के रूप में अवार्ड जारी किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 के अन्तर्गत आवासीय भूमि अवाप्त होने से नियमानुसार मुआवजा दिया जाना उचित होने का उल्लेख किया गया है।

अतः उक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बांसवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रश्नगत आवासीय भूमि का नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाकर अवार्ड जारी करावे। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम एवं इससे सम्बद्ध निर्धारित किए गए प्रावधानों के अनुरूप सहायता राशि की गणना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से करवाई जाकर प्रार्थी को अवार्ड एवं सहायता राशि का भुगतान कराया जावे। विपक्षी संख्या 1 भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं.113, बांसवाड़ा (राज.) को निर्देशित किया जाता है अवार्ड के आधार निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी को भुगतान कराया जावे।

निर्णय आज दिनांक 17-05-2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




 (भुगतानी प्रसाद)
 जिला कलेक्टर
 बांसवाड़ा